**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**
**(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार )**
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**
**(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)**

क.रा.बी.नि.
ESIC

सत्यमेव जयते

**क्षेत्रीय कार्यालय/ REGIONAL OFFICE,**
**पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005**
**PANCHDEEP BHAWAN, SARVODAYA NAGAR, KANPUR-208005**
**Phone: 0512-2217957**
**Email:** rd-up@esic.nic.in

पत्र स. 21-A-22/17/AGT/2023-Estt. दिनांक- 21-08-2025

**परिपत्र**

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं. 43 वर्ष 2025 दि. 20.05.25 तथा कार्यालय आदेश सं. 78 वर्ष 2025, दि. 12.08.25 के अनुक्रम में वार्षिक सामान्य स्थानान्तरण के अंतर्गत स्थानांतरित व दि. 14.08.2025 से अपने वर्तमान तैनाती स्थान से आदेशित तैनाती स्थान हेतु कार्यमुक्त किए गए थे । उन सभी कार्मिकों को सक्षम अधिकारी द्वारा उनके स्थानांतरण के संबंध में प्रत्यावेदन देने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया गया है । अतः वे सभी कार्मिक जिन कार्मिकों के द्वारा अपने आदेशित तैनाती स्थान में कार्यग्रहण कर लिया गया है, वे अपने नये तैनाती स्थान से एवं जो कार्मिक अब तक अपने आदेशित तैनाती स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया है, वे अपने पूर्व कार्यस्थल से अपना प्रत्यावेदन सभी संबंधित साक्ष्यों/प्रपत्रों के साथ **दि. 26.08.2025 तक सिर्फ ई-मेल द्वारा rd-up@esic.nic.in** पर प्रेषित कर सकते हैं । साथ ही यह भी सूचित करना है कि जिन कार्मिकों ने अब तक आदेशित तैनाती स्थान में कार्यग्रहण नहीं किया है और अपने स्थानांतरण के संबंध में प्रतिवेदन देने के इच्छुक हैं, वे अपने पूर्व कार्यस्थल पर ड्यूटी हेतु रिपोर्ट करेंगें एवं अपने प्रतिवेदन के निस्तारण तक पूर्व कार्यस्थल पर कार्यरत रहेंगे । ऐसे कार्मिक स्वतः कार्यमुक्त की तिथि (दि. 14.08.25) से पूर्व कार्यस्थल में पुनः कार्यग्रहण करने की तिथि तक की अवधि हेतु किसी भी देय अवकाश का आवेदन करेंगें । उनके प्रत्यावेदन के निस्तारण के बाद कार्यमुक्त या अन्यथा जैसा निर्धारण होगा कार्यग्रहण अवधि का उपभोग कर सकते हैं ।

यह परिपत्र क्षेत्रीय निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

Digitally signed by Anurag Kumar
Date: 21-08-2025 16:23:15

(अनुराग कुमार)
उप निदेशक (स्थापना-I)

**प्रतिलिपि-**

1. संबंधित कर्मचारी (नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से) ।
2. क्षेत्रीय निदेशक महोदय के निजी सचिव, निजी सचिव अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर को सूचनार्थ ।
3. डीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पाण्डेपुर, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
4. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, जाजमऊ/बरेली/लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
5. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ/वाराणसी/नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
6. प्रभारी अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, डी.सी.बी.ओ. कानपुर देहात/हापुड़ ।
7. समस्त शाखाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
8. क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के अधीनस्थ समस्त शाखा कार्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
9. नोडल अधिकारी, ई-ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
10. कार्यालय आदेश पुस्तिका ।